ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/ बाजदायरी होची V/s नारायण वगै.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री प्रमोद सिंह राठौड़ श्री मंगलाराम चौधरी	

20/5/25

होची बनाम नारायण वगैरह (2023/348)

प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश किया गया । अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी श्री मंगलाराम चौधरी एडवोकेट उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील दिनांक 07.11.2023 को वास्ते सुनवाई नियत थी। जिसे माननीय न्यायालय ने अदम हाजरी अदम पैरवी में खरिज करने का आदेश पारित कर दिया। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में श्रीमान के द्वारा बरवक्त लगवाये जाने आवाज प्रार्थी अभिभाषक माननीय संभागीय आयुक्त में व्यस्त होने के कारण श्रीमान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। जब न्यायालय से बहस समाप्त करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो रीडर द्वारा उन्हे अवगत कराया गया कि प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। अभिभाषक ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यक्ता नहीं है जब भी जरूरंत होगी सूचना कर देंगे, इस कारण नियत दिनांक को प्रार्थी श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण प्रकरण को माननीय न्यायालय ने अमद हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई के लिए आवाज लगाने पर प्रार्थी का उपस्थित नहीं होने का कारण जानवुझकर या लापरवाही न था बल्कि उपरोक्त कारण से सद्भाविक था। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गुणावगुण पर निस्तारण करने के न्यायोचित आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब निवेदन किया कि अपील की सुनवाई के वक्त अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए, जो कि उनकी लापरवाही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन संतोषजनक नहीं है अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। दिनांक 07.11.2023 को अभिभाषक अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं थे इसलिए अपील को अदम हाजरी–अदग पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्वकिल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र बाजदायरी फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner